प्रेषक,

निदेशक ,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
जनपद–मिर्जापुर/सोनभद्र/झांसी/भदोही/ ललितपुर/जालौन/चित्रकूट/बांदा/हमीरपुर/महोबा।

पत्रांकः 428 चारा/3डी–59/रा0यो0/2019–20 दिनांक– 29.08.19

विषयः– **अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपयोग हेत दिशा–निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना के सापेक्ष शासन द्वारा संदर्भित योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–55/2019/1016/सैंतीस–2–2019–1(42)/2014 दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसका आवंटन कार्यालय के पत्र सं0–438/बजट/29(5)/अनु0–15/41/ 2019 20 दिनांक 03.06. 2019 द्वारा किया गया है। जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना क्रियान्वित की जाय–

1– योजना प्रदेश के 10 जनपदों की अवशेष 2649 ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ पशुचिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में संलग्न विवरण (परिशिष्ट–1) के अनुसार संचालित किया जायेगा।

2– जनपदवार निर्धारित ग्राम पंचायतों में से प्रति ग्राम पंचायत से केवल 01 इच्छुक लघु/सीमान्त पशुपालक जो कम से कम 02 बड़े दुधारु पशु पालता हो, का ही चयन किया जायेगा। प्रदेश की महिलाओं/अल्पसंख्यकों की भागीदारी शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित की जाए। प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वर्षों में चयनित ग्राम पंचायतों को चयनित नहीं किया जायेगा।

3– योजना के सम्बन्ध में प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, जिसमें उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी सदस्य/सचिव, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित सदस्य तथा सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की बैठक में आये प्रस्ताव एवं उपर्युक्त निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जायेगा।

4– संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निम्न प्रदर्शन सामग्री दिये गये मानकों के अनुरूप **जेम पोर्टल** से न्यूनतम दर पर क्रय कर प्रत्येक लाभार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी–

1–लोअर प्लास्टिक सीट सफेद पारदर्शी 200 माइकान (670ग्राम –(5% +/–) आकार 90" X 60" – एक
2–अपर प्लास्टिक सीट सफेद पारदर्शी 200 माइकान (960ग्राम–(5% +/–) आकार 102" X 72" – एक
3–दस ली0 क्षमता वाला स्प्रिंकलर (हजारा), वजन 675–700 ग्राम (5% +/–) – एक
4–चारा तकनीकी निर्देशिका/पुस्तिका – एक

5– कार्यालय पत्र संख्या–438/बजट/29(5)/अनु0–15/41/2019–20 दिनांक 03.06.2019 द्वारा आवंटित धनराशि में दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुए मदवार व्यय/क्रय निम्नानुसार किया जायेगा–

(अ) **मानक मद 42–अन्य व्यय** में आवंटित धनराशि से **स्प्रिंकलर एवं तकनीकी निर्देशिका।**
(ब) **मानक मद 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति** में आवंटित धनराशि से **लोअर एवं अपर प्लास्टिक सीट।**

6– चारा तकनीकी निर्देशिका/पुस्तिका स्थानीय स्तर से छपायी जानी है, पुस्तिका हेतु प्रारुप संलग्न है। पुस्तिका की छपाई एवं साइज 220 जी0एस0एम0, ग्लासी पेपर, कवर का पन्ना 4 कलर में दोनों साइड मुद्रित, अन्दर के पन्ने 100 जी0एस0एम0, आर्ट पेपर 4 कलर में दोनों साइड मुद्रित 50 पन्नों की गम पेस्टिंग बाइंडिंग सहित होनी चाहिए। उक्त पुस्तिका की दर प्रतिस्पर्धात्मक एवं न्युनतम बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। **चारा तकनीकी निर्देशिका/पुस्तिका का नमूना संलग्न है।**

7– क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली के अनुक्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

8– किसी भी परिस्थिति में शासनादेश संख्या–55/2019/1016/सैंतीस–2–2019–1(42)/2014 दिनांक 29 अप्रैल 2019 में दिये गये निर्देशों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत विभिन्न निर्देशों का विचलन किसी भी दशा में न किया जाए, अन्यथा आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9– चयनित लाभार्थी का पूर्ण विवरण पशु चिकित्सालय/मु0प0चि0अ0 कार्यालय पर रखा जाए, ताकि योजना का मूल्यांकन/अनुश्रवण करने वाले अधिकारी को तत्काल सूचनायें उपलब्ध करायी जा सकें। चयनित लाभार्थी की सूचना निम्न प्रारुप पर तत्काल उपलब्ध करायी जाएः–

क0सं0	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	लाभार्थी की श्रेणी	स्थायी पता	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8

उपर्युक्त प्रारुप पर सूचना दिनांक– 15–10–2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10– योजना के कियान्वयन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।

11– इस कार्यक्रम का अनुश्रवण/सत्यापन पशुचिकित्सा अधिकारी एवं चारा से सम्बन्धित स्टाफ द्वारा शत–प्रतिशत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा कम से कम 25 प्रतिशत तथा मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–।। द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत प्रदर्शन का सत्यापन किया जायेगा। निदेशालय स्तर से प्रश्नगत योजना का स्थलीय सत्यापन एवं अनुश्रवण चारा अनुभाग से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।

12– सामग्री की गुणवत्ता बिन्दु संख्या–4 में निर्धारित मानक से कम होने पर संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी होगें तथा उनसे व्यक्तिगत रुप से धनराशि वसूल की जायेगी।

13– आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को ई0मेल **fdoup522@gmail.com** पर **31 दिसम्बर, 2019** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 यू0पी0सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

पत्रांक /चारा/3डी–59/रा0यो0/2019–20 तद् दिनांक/

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक (ग्रेड–2), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से उक्त के सम्बन्ध में अनुपालन इसी वित्तीय वर्ष में कराना सुनिश्चित करे।

2– संबंधित मुख्य विकास अधिकारी।

3– संबंधित जिलाधिकारी।

4– प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

5– विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 यू0पी0सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

परिशिष्ट–1

शा0सं0–55/2019/1016/सैंतीस–2–2019–1(42)/2014 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अपौष्टिक चारे एवं सेल्युलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत जनपदवार निधारित लक्ष्य एवं आवंटित की गयी धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	आहरण वितरण अधिकारियों का पदनाम व जनपद	वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत आच्छादित की जाने वाली ग्राम पचायतों की सं0 (01 लाभार्थी/ग्राम पंचायत)	मानक मदवार आवंटित धनराशि (रू0 में)		
				42–अन्य व्यय	43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	7	8	9	10
1	मिर्जापुर	मु0प0चि0अ0, मीरजापुर	295	172500.00	203500.00	376000.00
2		मु0प0चि0अ0, सोनभद्र	539	315500.00	372000.00	687500.00
3		मु0प0चि0अ0, भदोही	141	82500.00	97000.00	179500.00
		योग	**975**	**570500.00**	**672500.00**	**1243000.00**
4	झांसी	मु0प0चि0अ0, झांसी	286	167000.00	197000.00	364000.00
5		मु0प0चि0अ0, ललितपुर	240	140500.00	165000.00	305500.00
6		मु0प0चि0अ0, जालौन	330	193000.00	228000.00	421000.00
		योग	**856**	**500500.00**	**590000.00**	**1090500.00**
7	चित्रकूटधाम	मु0प0चि0अ0, चित्रकूट	193	113000.00	133000.00	246000.00
8		मु0प0चि0अ0, बांदा	271	158500.00	187000.00	345500.00
9		मु0प0चि0अ0, हमीरपुर	196	114500.00	135500.00	250000.00
10		मु0प0चि0अ0, महोबा	158	93000.00	110000.00	203000.00
		योग	**818**	**479000.00**	**565500.00**	**1044500.00**
		महायोग	**2649**	**1550000.00**	**1828000.00**	**3378000.00**

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

प्रेषक,

5 chara latter 2019–20